कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक–3154/मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक, जनवरी, 11, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पिपरी रेंज में नगर पंचायत रेनुकूट द्वारा जोकाही वन ब्लाक, मुर्धवा दक्षिणी बीट कम्पार्टमेन्ट नम्बर 14 अ में अस्पताल , विद्यालय, सामुदायिक भवन, पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकी एवं आर0ओ0 व शौचालय निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.9594 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं प्रभावित 65 वृक्षो के पातन की अनुमति के संबंध में । (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/DISP/49674/2020)

संदर्भः– 1–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक– 08बी/यू0पी0/09/228/09/2021/एफ0सी0/474 दिनांक– 22.10.2021

2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 2915/11–सी FP/UP/DISP/49674/2020 लखनऊ दिनांक– 11.06.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रस्ताव को भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक– 22.10.2021 द्वारा निम्नानुसार निरस्त किया गया है :–

The proposal is rejected on grounds of merit since proposals of non site specific project on forest land are normally not entertained as per FCA guidelines.

उक्त की सूचना प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट के पत्र संख्या– 1539/रेनुकूट/15 दिनरांक– 15.11.2021 द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत रेनुकूट, जिला–सोनभद्र को अवगत कराया गया । अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रेनुकूट–सोनभद्र ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 385/न0पं0रे0/2020–21 दिनांक– 30.12.2021 द्वारा निम्नानुसार अवगत कराते हुए 0.9594 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति मॉगी गयी है :–

"भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली के पत्र संख्या– एफ.नं. 112–9/98–एफ.सी. दिनांक– 13 मई 2011 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत निम्नलिखित विकास कार्यो हेतु 05 हे0 (पॉच हेक्टेयर) तक वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये अनुमति दिये जाने की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है जिसका प्रभावी अंश निम्नानुसार है :–

---I am directed to say that in partial modification of this Ministy's said letter of even number dated 03.11.2010, to facilitate expeditious creation of the critical public utility infrastructure in 60(sixty) Left Wing Extermism affected districts, the existing general approval under Section-2 of the Forest(Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for creation of critical public utility infrastructure by Government Department is further relaxed to diversion of not more than 5.00 ha of forest land in each case, in these districts . The activities covered under the General approval are as below:

1- Schools.
2- Dispensaries/Hospitals.
3- Electrical and Telecommunication Lines.
4- Drinking Water .
5- Water/Rain Water Harvesting Structures.
6- Minor Irrigation Canal,
7- Non Conventional Sources of Energy.
8- Skill up Gradation/Vocational Training Center.
9- Power Sub-stations.
10-Rural roads.
11-Communication Posts.
12-Police establishments like police Stations/Outposts/Border Outposts/Watch Towers in sensitive area (identified by Ministry of Home Affairs); and
13-Undergroujd laying of optical fibre cables, telephone lines & drinking water supply lines.

भारत सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक– 13 मई 2011 में वर्णित 13 क्रियाकलापो की अनुमति हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत जनपद–सोनभद्र के लिए ही व्यवस्था दी गयी है, जिसमें नगर पंचायत रेनुकूट द्वारा प्रस्तावित कार्य सम्मिलित है'' ।

उक्त के आलोक मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट के पत्र संख्या–1539/रेनुकूट/15 दिनरांक– 15.11.2021 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा जनपद–सोनभद्र के दुद्धी तहसील अन्तर्गत रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज में नगर पंचायत रेनुकूट द्वारा अस्पताल आदि हेतु प्रस्तावित 0.9594 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति भारत सरकार के संलग्न पत्र दिनांक– 13 मई 2011 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार से जारी कराने हेतु संस्तुति सहित रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित किया है ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत के संबंध मे रिपोर्ट 03 प्रतियों में एतद्सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– /अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय पत्रांक–2096/रेनुकूट/15–258 दिनांक 03.01.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 2096 / रेनुकूट /15–258 दिनांक, रेनुकूट,जनवरी, 03, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पिपरी रेंज में नगर पंचायत रेनुकूट द्वारा जोकाही वन ब्लाक, मुर्धवा दक्षिणी बीट कम्पार्टमेन्ट नम्बर 14 अ में अस्पताल , विद्यालय, सामुदायिक भवन, पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकी एवं आर0ओ0 व शौचालय निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.9594 है0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं प्रभावित 65 वृक्षो के पातन की अनुमति के संबंध में । (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/DISP/49674/2020)

संदर्भः– 1–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक– 08बी / यू0पी0 / 09 / 228 / 09 / 2021 / एफ0सी0 / 474 दिनांक– 22.10.2021
2–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 2915 / 11–सी FP/UP/DISP/49674/2020 लखनऊ दिनांक– 11.06.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रस्ताव को भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक– 22.10.2021 द्वारा निम्नानुसार निरस्त किया गया है :–

The proposal is rejected on grounds of merit since proposals of non site specific project on forest land are normally not entertained as per FCA guidelines.

उक्त की सूचना इस कार्यालय के पत्र संख्या– 1539 / रेनुकूट / 15 दिनरांक– 15.11.2021 द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत रेनुकूट, जिला–सोनभद्र को अवगत कराया गया । अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रेनुकूट–सोनभद्र ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 385 / न0पं0री0 / 2020–21 दिनांक– 30.12.2021 द्वारा निम्नानुसार अवगत कराते हुए 0.9594 है0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति माँगी गयी है :–

"भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली के पत्र संख्या– एफ.नं. 112–9 / 98–एफ.सी. दिनांक– 13 मई 2011 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत निम्नलिखित विकास कार्यो हेतु 05 है0 (पाँच हेक्टेयर) तक वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये अनुमति दिये जाने की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है जिसका प्रभावी अंश निम्नानुसार है :–

---I am directed to say that in partial modification of this Ministy's said letter of even number dated 03.11.2010, to facilitate expeditious creation of the critical public utility infrastructure in 60(sixty) Left Wing Extermism affected districts, the existing general approval under Section-2 of the Forest(Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for creation of critical public utility infrastructure by Government Department is further relaxed to diversion

of not more than 5.00 ha of forest land in each case, in these districts . The activities covered under the General approval are as below:

1- Schools.
2- Dispensaries/Hospitals.
3- Electrical and Telecommunication Lines.
4- Drinking Water .
5- Water/Rain Water Harvesting Structures.
6- Minor Irrigation Canal,
7- Non Conventional Sources of Energy.
8- Skill up Gradation/Vocational Training Center.
9- Power Sub-stations.
10-Rural roads.
11-Communication Posts.
12-Police establishments like police Stations/Outposts/Border Outposts/Watch Towers in sensitive area (identified by Ministry of Home Affairs); and
13-Undergroujd laying of optical fibre cables, telephone lines & drinking water supply lines.

भारत सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक– 13 मई 2011 में वर्णित 13 क्रियाकलापो की अनुमति हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत जनपद–सोनभद्र के लिए ही व्यवस्था दी गयी है, जिसमें नगर पंचायत रेनुकूट द्वारा प्रस्तावित कार्य सम्मिलित है" ।

अतः आपसे अनुरोध है कि जनपद–सोनभद्र के दुद्धी तहसील अन्तर्गत रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज में नगर पंचायत रेनुकूट द्वारा अस्पताल आदि हेतु प्रस्तावित 0.9594 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति भारत सरकार के संलग्न पत्र दिनांक– 13 मई 2011 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार से जारी कराने हेतु संस्तुति सहित रिपोर्ट प्रेषित है ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या– अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपिः अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, रेनुकूट–सोनभद्र को उनके पत्र संख्या–385/न0पं0रे0/2020–21 दिनांक– 30.12.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु उच्च स्तर स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

9765
33
04-01-2022